<u>**न्यायालय जनपद न्यायाधीश, बहराइच।**</u>

प्रकीर्ण सिविल वाद संख्या–88/2026

जगन्नाथ बनाम रामफेरे आदि।

C.N.R. NO.UPBH010031622026

<u>10.07.2026</u>

3–ग अन्तरण प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। सुना एवं अभिलेखों का सम्यक् अवलोकन किया।

3–ग अन्तरण प्रार्थना–पत्र आवेदक जगन्नाथ की तरफ से इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि सामान्य वाद संख्या–135/2022, जगन्नाथ बनाम रामफेरे आदि, न्यायालय अपर सिविल जज(अवर खण्ड), कोर्ट नं०–3, बहराइच में विचाराधीन है। उक्त दावे की मालियत मु० 2,00,000/–रूपये दर्शाकर दावा दायर हुआ था। उक्त न्यायालय को मु० 1,00,000/–रूपये तक मालियत के मुकदमात सुनने का क्षेत्राधिकार है। इस कारण न्यायालय को मुकदमे की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। मुकदमे में प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पा रही है। उपरोक्त कथनों के आधार पर याचना की गई कि उक्त मुकदमा को किसी अन्य न्यायालय, जिसको मु० 2,00,000/–रूपये मालियत के मुकदमे सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त हो, पर स्थानान्तरित किया जाये। अन्तरण प्रार्थना–पत्र स्वयं के शपथ–पत्र 4–ग से समर्थित है।

विपक्षीगण की ओर से उक्त अन्तरण प्रार्थना–पत्र पर कोई अपत्ति प्रस्तुत न करते हुए आदेश–पत्रक पर क्षेत्राधिकार का प्रकरण होने एवं स्थानान्तरण होने में कोई आपत्ति न होने का उल्लेख किया गया है।

सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की उपलब्ध आख्यानुसार सामान्य वाद संख्या–1351/2022, जगन्नाथ बनाम रामफेरे, न्यायालय अपर सिविल जज(अवर खण्ड), कोर्ट नं०–3, बहराइच में विचाराधीन है।

आवेदक द्वारा अन्तरण प्रार्थना–पत्र सामान्य वाद संख्या–1351/2022 की मालियत मु० 2,00,000/–रूपये होने, न्यायालय अपर सिविल जज(अवर खण्ड), कोर्ट नं०–3, बहराइच को मु० 1,00,000/–रूपये तक मालियत के मुकदमात सुनने का क्षेत्राधिकार होने के कारण उक्त वाद में प्रभावी कार्यवाही न हो पाने के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। विपक्षीगण की ओर से उक्त अन्तरण प्रार्थना–पत्र का कोई विरोध नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्याय निर्णयन में सुविधा के दृष्टिकोण से 3–ग अन्तरण प्रार्थना–पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>**आदेश**</u>

3–ग अन्तरण प्रार्थना–पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। सामान्य वाद संख्या–1351/2022, जगन्नाथ बनाम रामफेरे को न्यायालय अपर सिविल जज(अवर खण्ड), कोर्ट नं०–3, बहराइच से विधि अनुकूल निस्तारण हेतु न्यायालय अपर सिविल जज(अवर खण्ड), कोर्ट नं०–1, बहराइच में स्थानान्तरित किया जाता है।

उभय पक्ष न्यायालय अपर सिविल जज(अवर खण्ड), कोर्ट नं०–1, बहराइच में उक्त वाद की सुनवाई हेतु दिनांक–30.07.2026 को उपस्थित हों।

(राजेश कुमार सिंह)
जनपद न्यायाधीश, बहराइच।
Id No.–UP2017

दिनाँकः 10.07.2026

Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.07.10 15:30:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court